



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-18012023-242039
CG-MH-E-18012023-242039

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 17, 2023/पौष 27, 1944

No. 44]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 17, 2023/PAUSHA 27, 1944

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 17 जनवरी, 2023

(निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) (संशोधन) विनियम, 2023

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/118.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 30, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 31 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 25 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15अख, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 23अक और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19अक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) (संशोधन) विनियम, 2023 कहा जा सकेगा।
2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) विनियम, 2018 में, विनियम 23 में,

(1) उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा –

“(1) पूर्णकालिक सदस्य, न्यायनिर्णायक अधिकारी (अड्जुडिकेटिंग ऑफिसर) या बोर्ड का सक्षम अधिकारी जिसके समक्ष कार्यवाहियाँ चल रही हों, मंजूर की गई निपटारे की शर्तों आदि के आधार पर, समुचित आदेश के माध्यम से, संबंधित कार्यवाहियों का निपटारा करेगा।”;

- (2) उप-विनियम (1) का स्पष्टीकरण हट जाएगा; और
 (3) उप-विनियम (2) हट जाएगा।

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक
 [विज्ञापन-III/4/असा./570/2022-23]

पाद टिप्पणः

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/48 द्वारा, 30 नवम्बर 2018 को (1 जनवरी 2019 से लागू) भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) विनियम, 2018 तत्पश्चात्:-
 - (1) 22 जुलाई 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/24, द्वारा
 - (2) 14 जनवरी 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/62, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 17th January, 2023

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SETTLEMENT PROCEEDINGS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2023

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/118.—In exercise of the powers conferred by Section 15JB of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, Section 23JA of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and Section 19-IA of the Depositories Act, 1996 read with Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, Section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and Section 25 of the Depositories Act, 1996, the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Settlement Proceedings) Regulations, 2018, namely:—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Settlement Proceedings) (Amendment) Regulations, 2023.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Settlement Proceedings) Regulations, 2018, in regulation 23,
 - (1) sub-regulation (1) shall be substituted by-

“(1) The Whole Time Member, Adjudicating Officer or the competent officer of the Board before whom the proceedings are pending, shall dispose of the respective proceedings, by an appropriate order, on the basis of the approved settlement terms.”;
 - (2) the Explanation to sub-regulation (1) shall be omitted; and
 - (3) sub-regulation (2) shall be omitted.

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Ext./570/2022-23]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Settlement Proceedings) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on November 30, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2018/48, with effect from 1st day of January 2019.
2. The Securities and Exchange Board of India (Settlement Proceedings) Regulations, 2018 were subsequently amended on: -
 - i. 22nd July 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Settlement Proceedings) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/24.
 - ii. 14th January, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Settlement Proceedings) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/62.